

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, (पलामू)।

ख वाद सं०... 424/2016-17-
का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत
जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सह-पठित- श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15.07.2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म.....) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा <u>पुर्वा</u> थाना नं० <u>232</u> खाता सं० <u>15</u> प्लॉट सं० <u>64</u> रकबा..... <u>2.30</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u>अनाबाद</u> बिहार / झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं०..... के पृष्ठ सं० <u>4412</u> पर जमाबंदी रैयत <u>च.ने.श.पु.का.प.स.१०</u> <u>अहित पु.का.प.</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रविवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रविवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर/ सादाहुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख, दिनांक <u>15.4.24</u> को उपस्थापित करें। <u>1.4.24</u> अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	

15.4.24

अभिलेख उपस्थापित ।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में मान रकम 6 विसय प्रदान पदा करिदी
क 5 मक 40 जम 60 मक 11 मक 5 समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख, दिनांक 30.4.24 को उपस्थापित करें।

15.4.24
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

30.4.24

अभिलेख उपस्थापित ।

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा 4/425 के मक मौजा नं० 232 खाता सं० 15 प्लॉट सं० 64/10 रकबा 2.30.00 किस्म गैरमजरूआ खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि मौजा पीपरा के मक 240/15 के मक 64/10 के मक 2.30.00 प्रति 24 मक 11 मक 5 के मक 6 विसय प्रदान पदा करिदी 5 मक 5 मक 11 मक 5 तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार(झारखण्ड)भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी सं० को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल रूप में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।

30.4.24
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

30.4.24
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

424/2016-17

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - मलासू अंचल - कुनरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
<u>धनेश दुसाध</u>	<u>पौफाकला</u>	<u>237</u>	<u>15</u>	<u>64/10</u>	<u>2.30</u>	<u>गैरमजदूरी</u>	<u>जमीन</u>
<u>मोहित दुसाध</u>					<u>एकड़</u>	<u>मालिक</u>	<u>जमीन</u>

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- फरती

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- मूल पंजी-II के परिवर्तन प्राधिकार काल में मांग कायम होने का चर्च नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :- NA

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार मांग पंजी-II के परिवर्तन प्राधिकार काल में
(क) अनिबंधित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) पदवी पदाधिकारी

अवैध जमाबंदी की जाँच किंवा राजस्व अभिलेख से की गई है :-
(ग) भूतपूर्व जमींदार द्वारा चाखिल रिजर्व से

(घ) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से

(ग) चाखिल-खारिज / भू-उत्पादित / नामांतरण पंजी से :-

चालू मांग
पंजी-II से
मिलाव किया।

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व से कायम है :- नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :- नहीं

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

प्रतिवेदन द्वारा मौजा-पिराबल के ब्लाक-15 प्लॉट 64/10 230/230 2.30 एकड़ क्षेति का मांग पंजी-II के 4-4-44/1 पर मांगदारी धनेश प्रसाद 5/0 मोहि प्रसाद के नाम से दर्ज है। पंजी-II के बंदोबस्ती परीक्षा काल में कोई बंदोबस्ती आधर दर्ज नहीं है। जमाबंदी रैग के बशल द्वारा क्षेति प्राप्ति के संबंध में बिहार ग्रामन गज कमीशन 5 प्रस्ताव किया गया है, परंतु अब क्षेति का DCLR/SPO द्वारा लगाव किया गया नहीं हुआ है। अतः 5 सी स्विचिंग में मांग अवैध प्रतीत होता है। अतः अग्रसर करवायी जाए प्रेषित।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जौचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रतिवेदन का जाँच किया, नहीं पाया / अतः उपरोक्त मांग को रद्द किया जा सकता है।

चल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, उत्तरपुर।

अनुमंडल पदा., उत्तरपुर।

अपर समाहर्ता, पलामू।

उपायुक्त, पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- बलेश कुमार श/0 मीरि दुमाध
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या I पृष्ठ सं: 54 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>पीपराकुला</u>	<u>237</u>	<u>15</u>	<u>64/10</u>	<u>2.30</u>

- पंजी-II में कोई विवरण दर्ज नहीं
3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- ई /
 4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- शैलमजरा मालिक
 5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- कोलम में परिवर्तन प्राधिकरण
 6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- कोलम में कोई विवरण दर्ज नहीं

- NA
7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार मांग पंजी-II में परिवर्तन कायम में कोई आधार दर्ज नहीं है।
(अनिबधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
 8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
:- चालू मांग पंजी-II से मिलावट किया गया

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1097635</u>	<u>1097635</u>	<u>2/3/15</u>	<u>2014-15</u>
<u>①</u>			

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अमिलेख सं० ५२५ / २०/४/२ (अन्तर्गत धारा ४(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम मौजा मीरहाट्टा

मौजा मीरहाट्टा

मौजा मीरहाट्टा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा मीरहाट्टा थाना नं०.....
खाता सं० १५ खेसरा नं० — रकबा..... से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० I के पंजी-II भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक ५/३/२४ को समय ११:०० बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-१, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना, एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा

कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।